



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273623
CG-DL-E-19062026-273623

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3062]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 3062]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3184(अ).— जबकि मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएसएम-648, छठा तल, डीएलएफ टावर्स शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, दिल्ली (पश्चिम), नई दिल्ली-110015, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना, “मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जेएसपी ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को कर्नाटक के रायचूर जिले में इसके 400 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना और कर्नाटक के कोप्पल जिले में इसके 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/02/2025-PG दिनांक 07.01.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना, “मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जेएसपी ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को कर्नाटक के रायचूर जिले में इसके 400 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना और कर्नाटक के कोप्पल जिले में इसके 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम”के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी में) दिनांक 16.02.2025, राजस्थान पत्रिका (हिंदी में) दिनांक 16.02.2025, प्रजावाणी (कन्नड़ में) दिनांक 16.02.2025 और

भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 24.05.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड ने हलफनामा दिनांक 03.06.2026 प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर और समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई भी टिप्पणियां/अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुए थे।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स जेएसपी ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को कर्नाटक के रायचूर जिले में इसके 400 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना और कर्नाटक के कोप्पल जिले में इसके 300 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें हैं:

- मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड की 400 मेगावाट उत्पादन पूलिंग स्टेशन (उत्पादन स्विचयार्ड, ग्राम गुडिहाला, तालुक मास्की, जिला रायचूर, कर्नाटक) से 300 मेगावाट उत्पादन पूलिंग स्टेशन (उत्पादन स्विचयार्ड, ग्राम लिंगदाहल्ली, तालुक कुशतगी, जिला कोप्पल, कर्नाटक) तक 220 केवी डीसी लाइन का निर्माण डीसी टावर पर किया जाएगा
- मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट उत्पादन पूलिंग स्टेशन (उत्पादन स्विचयार्ड, ग्राम लिंगदाहल्ली, तालुक कुशतगी, जिला कोप्पल, कर्नाटक) से कोप्पल-II पीएस (GI सबस्टेशन) तक 220 केवी डीसी लाइन का निर्माण डीसी और एमसी टावर्स पर किया जाएगा।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र.स.	गावों के नाम	तहसील/ तालुक	जिला	राज्य
1	हट्टीगुड्डा, चिक भेरगी, हिरे भेरगी, कलमंगी, उमलोटी, बुकानहट्टी, गरलोटी, कालचिलमी	सिंधनूर	रायचूर	कर्नाटक
2	भोगपुर, गुडिहाल, होगरानहाल, संगनहाल, मेटिनहाल, हडगली	मस्की	रायचूर	कर्नाटक
3	पुरा, येतनहट्टी, कान्हाल, गंगनहाल, हिरे तिमनहाल, चिकतिमनहाल, मेनाधल, हिरे मुकार्तिहल, मगनाकल, होमनहाल, तलकेरी, सिद्धपुर, लिंगदाहल्ली	कुशतगी	कोप्पल	कर्नाटक
4	चिकमन्नापुर, मरकथ, चौदापुर, वंजाभावी, कटगिहल्ली, उचलकुंती, टिपनहाल, बुकानहट्टी, गंधाल, हिरेवंकलकुंटी, चिकवंकलकुंटी, कलभावी, गुन्हाल, नालागोल, यापलदिन्नी, उप्पलदिन्नी, माटलदिन्नी, हुनसिहाल, नरसापुर, मुर्डी, बेबूर, वांगेरी, गुट्टूर लक्ष्मणगुड्डा	येलबुर्गा	कोप्पल	कर्नाटक

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अद्यधीन है।
- vi. मेसर्स जिंदल ग्रीन विंड 1 प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/51/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3184(E).—Whereas M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited having its registered address at DSM-648, 6th Floor, DLF Towers Shivaji Marg, Najafgarh Road, Moti Nagar, Delhi(West), New Delhi-110015, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme, “Transmission System for providing connectivity to **M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited (Formally known as M/s JSP Green Wind 1 Pvt. Ltd.)** for its 400 MW wind project located in Raichur district, Karnataka and 300 MW wind project located in Koppal District, Karnataka”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/02/2025-PG dated 07.01.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme, “Transmission System for providing connectivity to **M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited (Formally known as M/s JSP Green Wind 1 Pvt. Ltd.)** for its 400 MW wind project located in Raichur district, Karnataka and 300 MW wind project located in Koppal District, Karnataka”.

M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers DECCAN HERALD (in English) dated 16.02.2025, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 16.02.2025, Prajavani (in Kannada) dated 16.02.2025 and in Weekly Gazette of India dated 24.05.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 months from the date of publication. Subsequently, M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited has submitted an affidavit dated 03.06.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 months from the date of Publication in the official gazette of Government of India and within 2 months from the date of newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme, “Transmission System for providing connectivity to **M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited (Formally known as M/s JSP Green Wind 1 Pvt. Ltd.)** for its 400 MW wind project located in Raichur district, Karnataka and 300 MW wind project located in Koppal District, Karnataka”.

The following overhead lines are covered under this scheme:

- 400 MW Generation Pooling Station of **M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited (Formally known as M/s JSP Green Wind 1 Pvt. Ltd.)** (Generation Switchyard located at Gudihala Village, Maski Taluk, Raichur district, Karnataka) - 300 MW Generation Pooling Station of **M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited**

(Formally known as M/s JSP Green Wind 1 Pvt. Ltd.) (Generation Switchyard located at Lingadhalli Village, Kushtagi Taluk, Koppal District, Karnataka) 220 kV D/c line on D/c tower

- 300 MW Generation Pooling Station of M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited (Formally known as M/s JSP Green Wind 1 Pvt. Ltd.) (Generation Switchyard located at Lingadhalli Village, Kushtagi Taluk, Koppal District, Karnataka) – Koppal-II PS (ISTS S/s) 220 kV D/c line on D/c and M/c towers.

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

S.N.	Name of the villages	Tehsil/Taluk	District	State
1	Hattigudda, Chik Bhergi, Hire Bhergi, Kalmangi, Umloti, Bukanhatti, Garloti, Kalchilmi	Sindhanur	Raichur	Karnataka
2	Bhogapur, Gudihal, Hogranhal, Sanganhall, Metinhal, Hadagali	Maski	Raichur	Karnataka
3	Pura, Yetanhatti, Kanhal, Ganganhal, Hire Timanhall, Chik Timanhall, Menadhall, Hire Mukartihall, Magnakal, Homanhall, Talkeri, Siddapur, Lingadahalli	Kushtagi	Koppal	Karnataka
4	Chik mannapur, Markath, Chaudapur, Vanjabhavi, Katgihalli, Uchalkunti, Tipanhall, Bukanhatti, Gandhall, Hire Wankalkunti, Chik Wankalkunti, Kalbhavi, Gunhall, Nalagol, Yapaldinni, Uppaldinni, Mataldinni, Hunsihall, Narsapur, Murdi, Bevur, Wangeri, Guttur, Lakshmangudda	Yelburga	Koppal	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Jindal Green Wind 1 Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/51/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secretary (PG)